

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उन्वान

बनाम

मीर्मांसिंह

महवीर आदि

दावा बाबत :- 88 RT Act

मुकदमा नम्बर :- 159/2021

निर्णय दिनांक :- 08-10-2021

वादी की ओर से वकील.....धरमपाल देसाय की व प्रतिवादी सं० 1513 की ओर से वकील.....महवीर देसाय की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 08/10/21 को मुझ शकुन्तला चौधरी उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि रोही नक 10 ए.एम.एस. के खाता सं० 63/53 के मु.नं. 24 के किला नं. 16 ता 19, 20, 21 22 ता 25, मु.नं. 25 के किला नं. 1, 2 ता 3, 10, 11, 12 ता 15, मु.नं. 29 के किला नं. 1, 2 ता 9, 10, 11 12 ता 14, 17 ता 19 कुल 10.1200 हे०, जिसमें नहरी 9.9200 हे०, गी० मु० रोस्ता 0.2000 हे०, खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी हैं। के नाम दर्ज है। के अकेले प्राप्तिवादी हैं। के बजाए वादी व प्रतिवादी हैं। व 2 को वहिस्ता करावर के खातेदार कस्तकार घोषित किये जाते हैं-युक्ति प्रतिवादी सं 3 ने अपना सम्पूर्ण हक वहिस्ता वादी व प्रतिवादी सं 1 व 2 के पास में त्याग कर चुन्य कर लिया है उसीलिए पंजीयन विभाग का ये पंजीयन शुल्क एवं स्थाप्य उभूट। उभूट करने व सीय कृषि भूमि वेक कर रदन हो तो रहने मुक्त होने के उपरान्त ही राजस्व रिकार्ड में उभूल्य परामय 7 कथा जावे। राजीनामा को डिक्री का मांग पडा जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। यह मुकदमा डिक्री आज दिनांक 08/10/21

को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(Handwritten signature)

(शकुन्तला चौधरी)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा, जिला हनुमानगढ़